


16.5.18

अभिभाषकगण उपस्थित । आज बहाने हेतु  
अवकाश चाहेते हैं। अतः पत्रावली काते  
बहाने दिनांक 1.8.18 को प्रस्तुत हो।

  
सम्भागीय आयुक्त  
बीकानेर

1.8.18


अभिभाषकगण उपस्थित/पीठासीन प्रबन्धकारी राजकीय पक्ष कायं  
हैं व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 7.8.18 को पेश हो।

7.8.2018

पत्रावली प्रस्तुत हुई । अभिभाषक अपीलान्त श्री बालकिशन  
एवं राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक श्री चतुर्भुज  
शर्मा उपस्थित ।

Not Press  
7/8/18

यह अपील शस्त्र अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत जिला  
मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.1.2016  
जिसके द्वारा अपीलार्थी गुरप्रीतसिंह द्वारा वृद्ध प्रकरण में अपने दादा  
श्री बलदेवसिंह पुत्र गुरबक्शसिंह जटसिख के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0  
362/65 डीएम/गंगानगर की एवज नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त  
करने हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के  
विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर विचाराधीन है । अभिभाषक  
अपीलान्त इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते हैं तथा Not  
press करते हैं। अतः यह अपील अभिभाषक अपीलान्त द्वारा Not  
press करने तथा आगे नहीं चलाने के कारण इसी स्तर पर खारिज  
की जाती है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का  
रिकॉर्ड वापिस प्रेषित हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद  
तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 7-8-18 को  
खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
(हनुमान सहाय मीना)  
सम्भागीय आयुक्त  
बीकानेर

रिका. 5/1/18/18  
30575  
15.08.18